

21-6-18

पञ्जाबली न्याय आपले गुर-२५४ में अरुल  
सेवा केन्द्र दीर्घा पेश हुई। पञ्जाबली न्याय के  
है। मूलवाद सहस्रों के आधार पर निर्णित  
हो चुका है इसलिए T.D. प्रा. पत्र का कोई  
औचित्य नहीं रह गया है अतः मूलवाद के  
परिपत्र में T.D. प्रा. पत्र भी निर्णित किया  
गया। पञ्जाबली प्रसन्न कुमार होकर रज  
नम्बर में कम हो। औद्योगिक मजदूरों में  
सुनाया गया।

उपसंहार अधिकारी  
सामरतंज

अ. ११/५११६  
गिरिधारी सिंह

निष्कर्ष

